कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 66

दिनांक :- 17 1 , 2025

सेवा में,

सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :— मौजा—पहाड़पुर थाना गांवा थाना नं0 164 जिला—गिरीडीह पी०एफ० में पहाड़पुर स्टोन डिपोजिट (Deposit) हेतु कुल 4.856 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 275 दिनांक 24.01.2020 एवं पत्रांक 1197 दिनांक 12.05.2020 महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/MIN/24815/2017/3652 दिनांक 10.12.2019 द्वारा पृच्छा की गई है।

भारत सरकार, द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारों के पत्रांक 31 दिनांक 07.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारों के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है:—

क्र0सं0	पृच्छाऐं	निराकरण
i)	As per information recorded in District Survey Report (DSR other than sand) of District Giridle Jharkhand accessed from website, there are 138 stone quarry leases in Giridih District and 61 of these stone quarry leases are in working condition. In view of this situation, for consideration of diversion of forest land for any new stone quarry, it is necessary to authoritatively ascertain and objectively assess the factual status of these 138 stone quarry leases (61 working and 77 non-working) regarding the following points:	
(a)	Current availability of mineable stone deposit/reserve in these 138 stone quarries;	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो ने सूचित किया है कि जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह का पत्रांक—470 दिनांक—18.05.2024 के आलोक में वर्त्तमान में 76 खनन पट्टा कार्यरत है एवं जिसके Current availability of mineable stone deposit कि विवरणी उपरोक्त पत्र के साथ अनु0—1 पर संलग्न है।
(b)	Status of closure/implementation of mine closure plan as per statutory provision of such quarries that have actually been exhausted of mineable stone deposit. Concerns of forest conservation, environment protection and sustainable mining require assessment of these aspects.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो ने सूचित किया है कि जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह का पत्रांक—565 दिनांक—19.05.2023 के आलोक में वर्त्तमान में समाप्त हुए कुल 93 खनन पट्टों के लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात् खनन कार्य बंद है। उल्लेखनीय है कि ये सभी बंद खनन पट्टे गैर वनभूमि में अवस्थित थे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारों से प्राप्त भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.856 है0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज—। प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। <u>अनु0—यथोक्त।</u> अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

17.1.25